264

388

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा ॥म०प्र०॥

हनुमान प्रसाद तनय श्री पुरुषोत्तमदास पाण्डेय उम्र- 45 साल निवासी ग्राम दीनापुर तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० ==== निगराकार/आवेदक

बनाम III/निग०/सतना/भू.अ./2017/2303

कुन्जनप्रसाद पिता पुरुषोत्तमदास ब्रा० उम्र- 52 साल निवासी ग्राम दीनापुर तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० =====अनावेदक

आवेदक अभिभाषक
श्री सेतमणि पाण्डेय द्वारा
पेश। 21-7-17
21-7-17

कलेक्टर आफ ....
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 5-6-2017 राजस्व निरीक्षक मंण्डल मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० प्रकरण क्रमांक 33अ-12/2016-17.
=================================
निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.
=================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

01:- यहकि राजस्व निरीक्षक कृत मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन ~~तहसील~~ ~~अमरपाटन~~ जिला सतना द्वारा की गयी सीमांकन की कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तकिए जाने योग्यहै ।

02- यहकि आवेदक एवं अनावेदक आपस में सगे भाई हैं । मूल नम्बर 876/2के दो खण्ड हुए जिसमें 876/2 गैरनिगराकार के स्वामित्व की भूमि है । तथा 876/2/2 निगराकार की स्वामित्व की भूमि है, लेकिन उक्त भूखण्ड का नक्शा तरमीम नहीं हुआ । दोनों नम्बर एक दूसरे में शामिल हैं ।

03- यहकि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही के दौरान आवेदक निगराकार एवं सभी सीमावर्ती कृषकों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी तथा चोरी छिपे गैरनिगराकार के प्रभाव में आकर बिना सीमांकन के पर्ची कार्यवाही कर सीमांकन किया जाना दिखाकर पुष्टि कर दी गयी जो हर

क्रमशः 2...पर

हनुमान प्रसाद पाण्डेय

(264)

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / 2017 / 2303 जिला सतना

हनुमान प्रसाद विरूद्ध कुन्जन प्रसाद

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17-1-19 | 1. आवेदक की ओर से श्री संस्कृति पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त कोठारी करही तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 33/अ-2/16-17 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |

हनुमान प्रसाद पाण्डेय